17/9/24 फाइल पेश हुई / वकील
वादी उपस्थित नहीं है ना ही
वादी स्वयं उपस्थित है / बार-
बार आवाज लगवाई गई / बावजूद
आवाज के भी कोई उपस्थित नहीं
आया है / प्रतीत होता है कि
वादी अपने वाद के प्रति उदासीन है
तथा आगे चलाने का इच्छुक नहीं
है। अतः वादी का वादपत्र अदम
पैरवी व अदम हाजरी के खारिज किया
जाता है / पत्रावली [illegible] सुधार
छोपर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2024.11.28 15:39:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
[illegible] जिला-कोटा (राज0)